

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 5560 /

दिनांक :- 22/02/2016

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री संतोष कुमार सैनी [लिंक नं. 5560] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, अलवर [19392] को दिनांक 21/08/2014 दिनांक से 16/11/2015 तक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ कार्यालय उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अलवर [11133] के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।



(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3 (ई)/अलेसे II/निप लिंक न. 5560 / 28676-81

दिनांक :- 22/02/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग, अलवर
2. उप नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अलवर
3. कोषाधिकारी अलवर
4. श्री /श्रीमती / सुश्री संतोष कुमार सैनी [5560] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय खाद्य एवं आपूर्ति निगम, राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम मुख्यालय (एक्स काडर), अलवर
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / निजी पत्रावली



(डॉ मनीष शुक्ला)
(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III))